

## अल्पकालीन ई-निविदा संख्या-09/2022-23

### निविदादाता को ई-निविदा प्रपत्र भरने हेतु नियम एवं आवश्यक दिशा निर्देश

निविदाकार को वेबसाइट पर डाले गये निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा तथा समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दो भागों में अपलोड कराना होगा।

1. निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 1180 (अदेय) तथा धरोहर धनराशि ₹ 2000.00 “Superintending Engineer, Electricity Urban Distribution Circle, Muzaffargarh” के नामे Punjab National Bank, Shiv Chowk, Muzaffargarh के बैंक खाता संख्या-0332002100036077, IFSC Code - PUNB0033200 में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अलग-अलग जमा कर साक्ष्य के रूप में यू0टी0आर0 संख्या, पे-इन-स्लिप की प्रति (इश्यूइंग बैंक के कन्फर्मेशन मेल की प्रति) ई-टेंडर के प्रपत्रों के साथ आन-लाईन अपलोड करना होगा। उक्त जमा धनराशि की बैंक खाते से पुष्टि कर निविदा के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जायेगा।
2. प्रपत्र भाग दो में सिर्फ निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न BOQ/Price Bid में BOQ के अनुरूप दर अपलोड करनी होगी।
3. उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0/प0वि0वि0नि0लि0 के अन्तर्गत निविदित/समान प्रकृति के कार्य का संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने का न्यूनतम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित अनुबन्ध प्रपत्र की छायाप्रति ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं।
4. निविदाकार के पास विगत 05 वित्तीय वर्षों में से 03 श्रेष्ठ वर्षों का औसत टर्नओवर ₹ 03 लाख से कम नहीं होनी चाहिए जिसके लिए विगत 05 वित्तीय वर्षों की सी0ए0 द्वारा सत्यापित प्रोफिट एवं लॉस एकाउन्ट एवं बैलेन्स शीट (सी0ए0 के यू0डी0आई0एन0 अंकित होना चाहिए) की छायाप्रति ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करनी आवश्यक है।
5. निविदा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध Declaration (Annexure-III) निविदाकार द्वारा संलग्न किया जाना आवश्यक होगा (Must be executed on a non-judicial stamp paper)
6. निविदाकार के पास विद्युत सुरक्षा निदेशालय लखनऊ द्वारा जारी 'ए' स्तर का नवीनतम एवं वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसे निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना होगा।
7. फर्म स्वामी का जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत नवीनतम एवं वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रति ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करनी होगी।
8. निविदाकार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र ई-निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना होगा कि उसकी फर्म को उ0प्र0पा0का0लि0 के अन्तर्गत किसी भी डिस्कॉम में काली सूची में नहीं डाला गया है।
9. निविदाकार से अनुबन्ध के समय कार्यादेश धनराशि का 03 प्रतिशत परफोमेन्स बैंक गारन्टी ली जायेगी जिसकी वैधता अनुबन्ध में शत प्रतिशत कार्य पूर्ण अवधि अथवा 01 वर्ष (जो भी अधिक हो) होगा तथा क्लेम पीरियड 3 माह होगा।
10. पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण (with Active Status) की छायाप्रति निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना आवश्यक हैं।
11. अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर साईट की आवश्यकतानुसार निविदाकार द्वारा कार्य कराया जायेगा।
12. विद्युत आपूर्ति के आकस्मिक ब्रेकडाउन के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाईनों के मरम्मतकरण की सूचना उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता द्वारा निविदाकार/साईट मैनेजर को दूरभाष/ई-मेल द्वारा दी जायेगी तथा सूचना प्राप्त होते ही तत्काल विद्युत आपूर्ति सुचारु करने हेतु साईट का कार्य निविदाकार द्वारा प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा।
13. निविदाकार/साईट मैनेजर द्वारा मोबाईल एटेंड न करने तथा विद्युत आपूर्ति सुचारु करने हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में विद्युत आपूर्ति के कार्यों को सुचारु रूप से नहीं किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता के संस्तुति पश्चात वित्तीय दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।
14. अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशानुसार मण्डल के अधीन अन्य खण्ड के अन्तर्गत भी आवश्यकतानुसार कार्य कराया जा सकता हैं।

अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल  
मुजफ्फरनगर।